न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 70/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/91

प्रार्थी:–

पुखराज पुत्र नृसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डला तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत मण्डला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मण्डला तहसील सोजत जिला पाली
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मण्डला तहसील सोजत जिला पाली
3. स्व. गोविन्द प्रसाद पुत्र मगराज जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डला तहसील सोजत के कायम मुकाम –
   3/1 जसोदा पत्नी गोविन्द प्रसाद
   3/2 ईश्वर पुत्र गोविन्द प्रसाद
   3/3 रेखा पुत्री गोविन्द प्रसाद
   3/4 वर्षा पुत्री गोविन्द प्रसाद
   3/5 पूजा पुत्री गोविन्द प्रसाद
   जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण मण्डला तहसील सोजत जिला पाली हाल निवासी रामदेव कॉलोनी पाली तथा अप्रार्थी संख्या 3/5 की ओर से कुदरती वली माता अप्रार्थी संख्या 3/1

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मीचन्द देवासी।
2. अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/5 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/02/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा मिसल संख्या 33/2010–11, संकल्प संख्या 08 दिनांक 05.12.2010 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 05.12.2010 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी मूल रूप से ग्राम मण्डला के निवासी है व अप्रार्थी स्व. गोविन्दप्रसाद के वारिसान है और दोनों के पूर्वज एक ही परिवार के सदस्य है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष झूठा आवेदन पेश

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया, जिसमें दुकान, मकान, भूखण्ड का पट्टा बनाने का अंकित किया जबकि उक्त आवेदन में प्रस्तावित भूखण्ड का माप नहीं दर्शाया है। पट्टें में वर्णित पड़ौस, आवेदन व शपथ पत्र में अंकित पड़ौस से मिलान नहीं खाता है। अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा नहीं करवाई गई और न ही मिसल की आदेशिका दिनांक 05.10.2010 में मिसल कायम करने के आदेश पारित किये गये। मनोनीत तीन पंचों के नाम दर्ज नहीं है और न ही नक्शे पर किसी के हस्ताक्षर है तथा ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर 22743 वर्गफुट का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रकरण में जिन व्यक्तियों के बयान लिये गये उनके ही आपत्ति इश्तिहार पर हस्ताक्षर दर्ज है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुये प्रार्थी के निर्बाध कब्जे एवं हक हकूक की भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2016(3) DNJ (Raj.) 1202, 2019(2) DNJ (Raj.) 570 पेश कर विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी अप्रार्थी के पूर्वजों की है। अप्रार्थी ने जैर निगरानी आराजी के पट्टे हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया और आवेदन पत्र के साथ नक्शा एवं मौका शुल्क बाबत् 60 रूपये की शुल्क जमा करवाई। आदेशिका में वार्ड पंचों का नाम अंकित करना आवश्यक नहीं है अपितु मौका निरीक्षण रिपोर्ट में तीनों वार्ड पंचों के हस्ताक्षर आवश्यक है। जैर आराजी का नक्शा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है। आपत्ति इश्तिहार जैर आराजी पर चस्पा किया गया और मौके पर उपस्थित गवाहों के बयान लिये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा सभी प्रक्रिया पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों अनुसार की गई। प्रार्थी जैर आराजी को अपना बताकर उक्त निगरानी याचिका पेश की है, परन्तु अपनी मालिकाना हक बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। अप्रार्थी ने उक्त भूखण्ड जरिये बेचाण खरीद किया है और उसी वर्ष प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश किये जाने पर उक्त निगरानी याचिका प्रार्थी द्वारा पेश की गई। ग्राम पंचायत ने विधिनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात् पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा मिसल संख्या 33/2010–11, संकल्प संख्या 08 दिनांक 05.12.2010 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 05.12.2010 के विरूद्ध पेश की है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994. धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह भी रहा कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है जबकि नियम 157 के तहत 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता जबकि उक्त पट्टा लगभग 22,743 वर्गफीट का जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधिवक्ता प्रार्थीगण के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जेर निगरानी पट्टा वर्ष 2010 में जारी किया गया है और तत्समय प्रभावी नियमों में नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने में क्षेत्रफल के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं थे। पट्टे के सम्बन्ध में 300 वर्गगज क्षेत्रफल के नियम की बाध्यता को वर्ष 2013 के संशोधन के द्वारा नियम 157 के तहत जोड़ा गया है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा जिसका क्षेत्रफल 22,743 वर्गफीट है, नियमानुसार है। परन्तु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 157 का उद्देश्य पुराने गृहों के विनियमितीकरण का है न कि किसी व्यक्ति के पक्ष में बहुत बड़ी भूमि का पट्टा जारी करने का। यदि इस प्रकार 22,743 वर्गफीट अर्थात् लगभग 1 बीघा से ज्यादा भूमि का पट्टा एक व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है तो यह इस अधिनियम के मूल उद्देश्य का दुरूपयोग होगा, इसलिये न्यायालय के मत अनुसार पट्टा 22,743 वर्गफीट की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टा बनाने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया और आवेदन पत्र कोर्ट फीस, नक्शा फीस, मौका निरीक्षण फीस जमा होना अंकित किया परन्तु उक्त राशि वास्तव में कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा कराई गई, इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण रिकॉर्ड पर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उपलब्ध नहीं है। साथ ही प्रस्तावित भूखण्ड के पड़ौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में धीराराम मेघवाल का खेत, उत्तर दिशा में भरतसिंह का प्लॉट तथा दक्षिण दिशा में आम रास्ता अंकित किया है। आवेदन पत्र में उत्तर दिशा में भरतसिंह का प्लॉट अंकित किया गया है, जबकि जैर निगरानी पट्ट हेतु जारी आपत्ति नोटिस एवं निर्गत प्रश्नगत पट्टे की उत्तर दिशा में आम रास्ता अंकित किया गया है अर्थात् प्रस्तावित भूखण्ड की सीमाओं के पड़ौस में भी विरोधाभास पाया गया है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.10.2010 के द्वारा तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण तथा सचिव को नक्शा बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु किन–किन तीन वार्ड पंचों को नामित कर निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया, उसे स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया। पंचों कें नाम निर्दिष्ट न किए जाने से आदेश की क्रियान्वयन प्रक्रिया अस्पष्ट एवं अपूर्ण प्रतीत होती है। तत्पश्चात् आदेशिका दिनांक 20.10.2010 में यह अंकित किया कि ग्राम सचिव द्वारा प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार कर बैठक में प्रस्तुत किया गया। इससे यह अभिलेखित होता है कि दिनांक 20.10.2010 तक नक्शा तैयार होकर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा चुका था। प्रकरण में उपलब्ध प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर नक्शा तैयार करने वाले ग्राम सचिव के हस्ताक्षर के साथ दिनांक 05.12.2010 अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त नक्शा दिनांक 05.12.2010 को तैयार किया गया। जब नक्शा स्वयं दिनांक 05.12.2010 को तैयार किया गया हो, तब उसका दिनांक 20.12.2010 को बैठक में प्रस्तुत किया जाना कालक्रमानुसार सम्भव नहीं है। उक्त तिथियों में स्पष्ट विरोधाभास परिलक्षित होता है। उपर्युक्त तथ्य यह संकेत करते है कि मिसल वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं है एवं नक्शा बाद में तैयार कर पूर्व दिनांक को दर्शाया गया है। दोनों ही परिस्थितियों में अभिलेखीय प्रक्रिया की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। प्रकरण में नियमानुसार आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा करवाये जाने थे, इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, साथ ही मौका निरीक्षण किस स्थान का और कब किया गया इस सम्बन्ध में कोई जानकारी मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर उपलब्ध नहीं है, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में मिसल की आदेशिका दिनांक 20.11.2010 के द्वारा आवेदनकर्त्ता के कब्जा सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। उक्त आदेश की अनुपालना में जिन स्वतंत्र व्यक्तियों के बयान मिसल में संलग्न पाए गए, उन बयानों पर दिनांक 05.10.2010 अंकित है। जब स्वतंत्र गवाहों के बयान लेने के सम्बन्ध में विधिवत् आदेश दिनांक 20.11.2010 को पारित किया गया, तब उससे पूर्व दिनांक 05.10.2010 को बयान लिया जाना कालक्रमानुसार असम्भव प्रतीत होता है। उक्त विरोधाभास यह इंगित करता है कि आदेश पारित होने से पूर्व ही बयान लेने की कार्रवाई कर दी गई थी। साथ ही यह भी विचारणीय है कि जब स्वतंत्र गवाहों के बयान लेने का निर्णय दिनांक 20.11.2010 को लिया गया तो उससे पूर्व ही यह पूर्वनिर्धारित कैसे किया जा सकता था कि किन व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र गवाह के रूप में बयान दिए जाएंगे। इससे यह परिलक्षित होता है कि कार्यवाही पूर्वनियोजित अथवा अभिलेखों में पश्चातवर्ती रूप से समायोजित की गई प्रतीत होती है। उक्त बयान साईक्लोस्टाइल प्रारूप में दर्ज पाए गए है तथा अवलोकन से यह प्रकट होता है कि बयान एक पूर्व निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए थे, जिनमें सुविधानुसार गवाहों के नाम एवं प्रश्गनत भूमि सम्बन्धी विवरण पश्चातवर्ती रूप से अंकित किए गए हैं। इससे यह आभास होता है कि बयान वास्तविक मौखिक कथन के आधार पर स्वतंत्र रूप से दर्ज न होकर पूर्व निर्मित प्रारूप में भरे गए है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उसके सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर है, उनकी वल्दियती दर्ज नहीं है। आपत्ति इश्तिहार की प्रक्रिया का उद्देश्य यह होता है कि ग्रामवासियों एवं सम्बन्धित पक्षकारों को प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे निर्धारित समायवधि में अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकें किन्तु वर्तमान प्रकरण में उपरोक्त प्रावधानों को दूषित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में मिसल की आदेशिका दिनांक 05.12.2010 में बयानकर्त्ता के नाम पश्चातवर्ती रूप से दर्ज किए गए प्रतीत होते हैं। साथ ही उक्त आदेशिका एवं इसके पश्चातवर्ती आदेशिका दिनांक 20.12.2010 में महत्वपूर्ण तथ्यों से सम्बन्धित स्थान रिक्त छोड़े गए है। इन रिक्त स्थानों में अपेक्षित विवरण अंकित नहीं किए गए है। साथ ही प्रकरण में प्रश्नगत पट्टे पर अंकित पड़ौस एवं आवेदन पत्र में वर्णित पड़ौस में स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। आवेदन पत्र एवं निर्गत पट्टे में सीमाओं का परस्पर मेल न होना भूमि की वास्तविक स्थिति पर प्रश्न प्रकट करता है। इन समस्त परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पट्टा निर्गमन की कार्रवाही विधिसम्मत, पारदर्शी एवं अभिलेखीय रूप से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती तथा वैधानिकता पर सन्देह प्रकट करती है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा मिसल संख्या 33/2010–11, संकल्प संख्या 08 दिनांक 05.12.2010 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 05.12.2010 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत मण्डला को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)